304

संख्या– 127 / XLII–1 / 2013–6(1) / 2013

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

कुल सचिव / वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 25 मार्च, 2013

विषयः–उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर, हरिद्वार में छात्रावास (126 क्षमता) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–4363 / कुलसचिव पटल / 2013 दिनांक 04–03–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास (126 क्षमता) के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई, हरिद्वार द्वारा वर्तमान में गठित विस्तृत आगणन ₹ 515.12 लाख (रूपये पांच करोड़ पन्द्रह लाख बाराह हजार मात्र) के सापेक्ष वित्त विभाग के टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण ₹ 474.87 लाख (रूपये चार करोड़ चोहत्तर लाख सत्तासी हजार मात्र) निर्माण कार्यों हेतु एवं ₹ 15.12 लाख (पन्द्रह लाख बाराह हजार मात्र) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार, अर्थात कुल ₹ 489.99 लाख (रूपये चार करोड़ नवासी लाख निन्यानबे हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा वन टाइम कैचअप ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत कुल ₹ 500 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त ₹ 250 लाख जो संस्कृत विश्वविद्यालय के पी0एल0ए0 में जमा है, को निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4– निमार्ण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

5– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047 / XIV–219 (2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यदायी संस्था से कार्य संबंध में एम0ओ0यू0 भी अवश्यक हस्ताक्षरित करा लिया जाए एवं प्रगति का निरंतर अनुश्रवण कर समयसारिणी के अनुसार कार्यपूर्ण करा लिया जाए।

2...

2. आगणन की एक प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि सम्बन्धित निर्माण ईकाई को उपलबध करायी जाय। आगणनों के अनुसार निर्माण इकाई निर्माण कार्यों को सम्पादित करेगी।

3. उक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण दिनांक 31.03.2013 तक शासन को उपलब्ध कराते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को भी प्रेषित करें। साथ ही साथ धनराशि के व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित कर कैचअप ग्राण्ट की अवशेष धनराशि प्राप्त कर शासन को अवगत करायेंगे।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या– 127 (1)/ XLII–1/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।
3. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी।
4. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 इकाई, हरिद्वार।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0चौहान)
अनुसचिव।